

# आवश्यक सूचना

## अति अल्पकालीन कोटेशन प्राप्ति

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) फारबिसगंज, अररिया में एवं जिले के (लर्निंग केन्द्रों में) निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रू पटना के ज्ञापांक-1212 दिनांक-13.06.2023 के आलोक में दिनांक- 04.07.2023 से 26.08.2023 तक विभिन्न बैचों में (50 प्रतिभागीयों के साथ) कुल-1957 (अथवा अधिक) शिक्षकों का पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण निर्धारित है। प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु भोजनादि, आवासन की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता होगी जिसमें आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन दिनांक- 28.06.2023 के संध्या 4:00 बजे तक बन्द लिफाफा में हाथो-हाथ/डाक द्वारा संस्थान कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। जिसको आंतरिक समिति के समक्ष दिनांक 01.07.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में खोला जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान संस्थान को आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों की सूची निम्नवत है-

### 1. भोजनादि:-

- (i) सुबह का नाश्ता (चाय सहित) प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन का दर GST सहित
- (ii) दोपहर का भोजन:- प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन का दर GST सहित
- (iii) संध्या चाय बिस्कुट:- प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन का दर GST सहित
- (iv) रात्रि का भोजन:- प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन का दर GST सहित
- (v) शुद्ध पेयजल:- प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन का दर GST सहित

### 2. आवासनादि:- गद्दा, चादर, तकिया, कम्बल, दरी प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन GST सहित

### 3. प्रतिभागी शिक्षक हेतु प्रशिक्षण सामग्री:- फोल्डर फाईल, पेन, पेन्सिल, रबर, कटर, नोट पैड आदि:- प्रति प्रतिभागी का दर GST सहित

### 4. आकस्मिकता:-

(बैनर, आई0 कार्ड, प्रमाण-पत्र, स्वीपर, प्राथमिक उपचार) / दवाई / साबुन / झाड़ू / फिनाईल हार्पिक / जग / बाल्टी / हैण्डवाश / मच्छरदानी / ऑलआउट / मच्छर अग्रवती / लायजॉल / फोटो कॉपी / अखबार / अध्ययन सामग्री / A4 Size Paper / Plain pepar / Roport printer Cartridge writing / publication / drinking water / card board / sticky Note and MTS Sound System Projector / जेनरेटर (GST सहित नियमानुसार)

### चयन का आधार

- (i) इच्छुक वेडर / Agency का GST पंजीकृत हो

- (ii) इच्छुक वेडर/Agency का Food & cetering का FSSAI/ का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र GST प्रमाण पत्र PAN No, Aadhar No, Bank Account No, IFSC Code के साथ बंद लिफाफे में रहेगा,
- (iii) क्रय समिति स्वास्थ्यबर्धक एवं सुपाचय मीनू एवं दर के आधार पर कोटेशन का चयन विभागीय नियमानुसार करेगी।
- (iv) कोई भी कोटेशन बिना कारण बताए रद्द करने तथा कार्य को एक से अधिक कोटेशन दाताओं के बीच बांटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- (v) प्रशिक्षण में भोजन की गुणवत्ता आवश्यक है एवं भोजन की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर किसी भी समय अनुबंध रद्द किए जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
- (vi) चयनित एजेंसी का कार्य संतोषजनक नहीं होने के स्थिति में उस एजेंसी का कार्य समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
- (vii) चयनित एजेंसी अपना कार्य यदि समय से पूर्व छोड़ना चाहते हैं तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में लिखित रूप से एक सप्ताह पूर्व देना अनिवार्य होगा।
- (viii) किसी भी विवाद की स्थिति में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

Mahesh Kumar



  
प्र० प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, (डायट)  
फारिसिबिसगंज, अररिया।

21/6/2023